MRA En USIUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3---उप-खण्ड (li)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 883]

No. 883]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर ३, २००१/अग्रहायण १२, १९२३

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2001/AGRAHAYANA 12, 1923

सङ्गक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

मई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1191(अ)— केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. 1181 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में ,

(क) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात

1	2	3
"1	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, सं.7 [9.400 से 34.800 कि.मी.	आंध्र प्रदेश राज्य
	(हैदराबाद-बंगलौर) और 447.000 से 474.000 कि.मी.	सरकार "
	(नागपुर -हैदराबाद) को छोड़कर] सं.9 (विजयवाड़ा से	
	मछलीपत्तनम खंड सहित) 217.0 से 266.4 कि.मी.	
	(नंदीगांव से विजयवाड़ा तक) छोड़कर सं. 16, सं. 43, सं.	
	63, सं. 202, सं. 205 और सं. 219 का आंध्र प्रदेश राज्य	
	में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.18 और 214.	

(ख) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	- 7	3 %
** 2	राष्ट्रीय राजुमार्ग सं. ३१, सं. ३१सी, सं. ३६, सं. ३७, सं	असम	ः राज्य
(51, सं. 52 बी, सं. 54 [सिल्वर-वारंगटे (लैलापुर)	सरकार	. 99 '
	खंड को छोड़कर], सं. 61, सं. 62, सं. 153, और सं. 154	,	
2	का असम राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	٠*,,	
,	31बी, सं. 37 (146,000 से 164,395 कि. मी. तक		
	गुवाहाटी बाईपास को छोड़कर) , सं.37 ए, सं.38 और सं.	,	
	152		

(ग) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3	
"3	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2, सं.19, सं.28, सं. 31[410.000 से	बिहार	राज्य
	447.000 कि.मी.और 470.000 से 476.150 कि. मी.	सरकार "	
	(पूर्णिया - गोयरकाटा) तक छोड़कर] ,सं.80, सं. 81,		
	सं. 98, सं. 99 का बिहार राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय	,	ı
, ,	राजमार्ग सं. 28 ए, सं.30, सं.30ए, सं.57, सं.77, सं. 82		
	सं. 83, सं. 84, सं.85, सं.101, सं.102, सं.103, सं.104,		ı
	सं.105, सं.106 और सं.107.		

(घ) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3	
" 4	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.3 (रा रा 4 के जंक्शन से मुंबई तक	महाराष्ट्र	राज्य
	561.0 से 585.0 कि.मी. तक छोड़कर) सं.6 (धुले से	सरकार"	
	महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खंड सहित), [149.80 से 166.0		
	कि.मी. तक (अमरावती बाइपास) छोड़कर], सं.७,[9.200		
	से 64.000 कि.मी. तक (नागपुर-अदीलाबाद) छोड़कर],		
	सं. 9, सं. 13, सं. 16, सं. 17 और सं. 69 का महाराष्ट्र राज्य		
	में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.50, सं.204 और सं.		
	211.		

(ङ) क्रम संख्या 4 क और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या ओर प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
" 4क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.14 [340.000 से 372.700 कि.मी.	गुजरात राज्य
	तक (आबू रोड -दीसा खंड) छोड़कर] सं.15 और सं. 59	सरकार"
	का गुजरात राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग	
	सं.8ए, (कांडला से मांडवी खंड सहित) ,सं.8बी [143.000	
	से 160.000 कि.मी. तक (गोंडल-रिबंडा खंड)छोड़कर]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	और सं. 8सी , सं. 8डी और सं.8ई.	

(च) क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात

1	2	3
" 6	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.17, सं. 47 [316.00 से 332.600	केरल राज्य
	कि.मी. तक (अलूवा -अंगमाली खंड) छोड़कर] सं.49,	
	सं.208, सं.212, सं.220 का केरल राज्य में स्थित खंड	
	और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.47ए और सं. 213,	

(छ) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
"7	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.३, [60.000 से 103,000 कि.मी. तक	मध्य प्रदेश राज्य
	(आगरा -ग्वालियर) छोड़कर], सं.७, सं.१२, सं.१२७, सं.२५,	सरकार"
	सं.26, सं. 27, सं. 59,सं. 59ए, सं. 69, सं. 75, सं. 75	
	का विस्तार, सं.76, सं.78, सं.79, सं.86, और सं.	
	92 का मध्य प्रदेश राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय	·
	राजमार्ग सं 86 का विस्तार	

(ज) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3	
"8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.4, [0.0 से 103.0 कि.मी. तक (चेन्नै	तमिलनाडु	राज्य
	से रानीपेट) छोड़कर],सं.७,[33.000 से 94.000 कि.मी.	सरकार"	
	तक (होसूर से कृष्णागिरि) , 134.000 से 141.000		
	कि.मी. और 156.000 से 207.600 कि.मी. कृष्णागिरि -		
	सलेम - मदुरै खंड , 248.165 से 259.230 (नमकल		
	बाइपास), 292.400 से 306.400 (करूर बाइपास) को		
	छोड़कर] और सं. 45ए [(तमिलनाडु /पांडिचेरी सीमा से		
	नागपटि्टनम खंड सहित)] , सं.47, सं.49, सं. 66, सं.		
	205, सं. 207, सं. 208, सं. 209, सं. 219 और सं. 220		
	का तमिलनाडु राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग		
	सं.7 ए, सं.67, सं. 68, सं. 45 बी और सं. 210		

(झ) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3	
"9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.4, [0.0 से 592.0 कि.मी. तक	कर्नाटक	राज्य
	(बंगलौर से कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा) छोड़कर], सं. 4ए,	सरकार"	
	सं.7, [0.0 से 33.0 कि.मी. तक (बंगलौर से कर्नाटक -		
	तमिलनाडु सीमा) और 524.000 से 556.000 कि.मी.		
<u> </u>	(हैदराबाद-बंगलौर) को छोड़कर] सं. 9, सं. 13		
	(चित्रदुर्ग से मंगलौर खंड सहित)], सं.17, सं.63, सं. 207,		
	सं. 209, और सं. 212 का कर्नाटक राज्य में स्थित खंड		
	और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.48 , सं.206, और सं. 218		

(ट) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3	<u></u>
"11	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.1, [212.000 से 387.100 कि.मी.	पंजाब	राज्य
'	तक (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर) छोड़कर], सं.१ए,		
	[4.230 से 26.000 कि.मी. तक (जालंधर-पठानकोट खंड़)		
-	को छोड़कर], सं. 10, सं.15, सं.20, सं.		
	21, सं. 22, सं.70, और सं. 71 का पंजाब राज्य में स्थित		
	खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.64, (भटिंडा से डबवाली खंड		
	सहित) और सं. 95		

(ठ) क्रम संख्या 11ए और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3	
"11ए	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.1, [29.300 से 212.000 कि.मी. तक	हरियाणा	राज्य
	(दिल्ली/हरियाणा सीमा से हरियाणा/पंजाब सीमा) छोड़कर], सं.10, सं.21ए, सं.22, सं. 64, सं. 65, सं.71, सं.72 और सं. 73 का हरियाणा राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय		
	राजमार्ग सं 71ए	<u> </u>	

(ड) क्रम संख्या 11सी और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.1, [8.200 से 16.200 कि.मी. और	राष्ट्रीय राजधानी
सी	16.500 से 29.300 कि.मी. तक दिल्ली (मजनूं का टीला	क्षेत्र दिल्ली की
	के समीप) से (दिल्ली/हरियाणा सीमा) छोड़कर],सं. 10,	सरकार"
	और सं. 24 का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित खंड	

(ढ) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3	
"12	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.3, [30.885 से 51.000 कि.मी. तक (उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा से धौलपुर खंड) छोड़कर], सं.11, सं.12, सं.14, सं. 15, सं. 65, सं.65 का विस्तार सं. 76, (चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक छोड़कर), सं. 79 (नजीराबाद से चित्तौड़गढ़ खंड को छोड़कर) का राजस्थान	(राज्य
	राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.11ए, सं. 89 और सं. 90		

(ण) क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात्

1	2	3
"13	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.2ए, सं.3 [8.00 से 30.885 कि.मी.	उत्तर प्रदेश राज्य
	तक (आगरा-यूपी/राजस्थान सीमा) छोड़कर], सं.७ सं. 11,	सरकार"
	सं. 19, सं. 24, [27.62 से 59.00 कि.मी. तक (हापुड़	
	बाइपास सहित गाजियाबाद-हापुड़) और 148.43 से	
	166.65 कि.मी. (मुरादाबाद बाइपास) को छोड़कर] , सं.	
	25, [11.380 से 75.500 कि.मी. तक (लखनऊ-कानपुर)	
	को छोड़कर] सं.26, सं.28, सं. 58, सं. 72, सं.73, सं.	,
	74, सं. 75, सं. 75ए, सं. 75ए का विस्तार, सं. 76, सं.	
	86, सं. 87 और सं. 92 का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित	
	खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.24 ए, सं. 29, सं. 56, सं.	
	91, सं. 93, सं. 96 और सं. 97	

[फा. सं, एनएच-14019/17/2001/पीएंडएम]

एस.सी. शर्मा, महानिदेशक (सङ्क विकास) व अपर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल, 1957 की एस.आर.ओ.संख्या 1181 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसमें पिछली बार 8 अगस्त, 2001 के का.आ.सं. 765 (अ) के तहत संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2001

S.O. 1191(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act,1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Transport, number S.R.O.1181, dated the 4th April, 1957, namely:-

In the said notification, in the Schedule;

(a) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

1	2	3
CC	So much of National Highways No. 4, No. 7 [excluding from Km 9.400 to Km 34.800 (Hyderabad-Bangalore) and from Km 447.000 to 474.000 (Nagpur-Hyderabad), No.9 (including portion from Vijayawada to Machilipatnam) excluding Km 217.0 to 266.4 (from Nandigama to Vijayawada) No. 16, No. 43, No. 63, No. 202, No. 205 and No. 219 as are situated within the State of Andhra Pradesh, and National Highways No. 18 and No. 214.	of Andhra Pradesh";

(b) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

1	2	3
\(\frac{\cdot^2}{2}\)	So much of National Highways No.31 No.31C, No.36,	State Government
	No.39, No.51,No.52B, No.54 [excluding Silchar-	of Assam";
	Vairangte (Lailapur) portion J, No.61, No.62, No. 153	
	and No.154 as are situated within the State of Assam	,
	and National Highways No.31B, No.37 (excluding	'
	from Km. 146.000 to Km.164.395 Guwahati Bypass),	,

No.37A, No.38 and No.152

(c) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"3	So much of National Highways No. 2, No. 19, No. 28, No. 31 [excluding from Km. 410.000 to Km.447.000 & Km. 470.000 to Km.476.150 (Purnea-Goyerkata)], No. 80, No. 81, No. 98, No. 99 as are situated within the State of Bihar and National Highways No. 28A, No. 30, No. 30A, No. 57, No. 77, No. 82, No. 83, No. 84, No. 85, No.101,No.102, No.103, No. 104, No. 105, No. 106 and No. 107.	

(d) For serial number 4 and the entries relating thereto, the number and entries shall be substituted, namely:-

1	. 2	3
"4	So much of National Highways No.3 (excluding from Km 561.0 to Km 585.0 from Junction with NH-4 to Mumbai), No.6 (including portion from Dhule to Maharashtra/Gujarat border), [(excluding from Km 149.80 to Km 166.0 (Amravati bypass)], No.7 [excluding from Km.9.200 to Km.64.000 (Nagpur Adilabad)], No.9, No.13, No.16, No.17 and No.69 as are situated within the State of Maharashtra and	of Maharashtra";
	National Highways No.50, No.204 and No.211.	

(e) for serial number 4A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"4A	So much of National Highways No. 14 [excluding from	
1	Km. 340.000 to Km.372.700 (Abu Road-Dessa	of Gujarat";
	Section)], No. 15 and No. 59 as are situated within the	
	State of Gujarat and National Highways No. 8A	
}	(including portion from Kandla to Mandvi), No. 8B	
	[excluding from Km.143.000 to Km.160.000 (Gondal	
	Ribda section)], No. 8C, No. 8D and No. 8E.	

(f) for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"6	So much of National Highways No. 17, No. 47 [excluding from Km.316.00 to Km.332.600 (Aluva-Angamali)] No. 49, No. 208, No.212, No. 220 as are situated within the State of Kerala and National Highways No. 47A and No. 213.	State Government of Kerala";

(g) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"7	So much of National Highways No. 3 [excluding from Km. 60.000 to Km. 103.000 (Agra-Gwalior)] No. 7, No. 12, No.12A, No. 25, No. 26, No. 27, No.59, No. 59A, No. 69, No. 75, Extension of No. 75, No. 76, No. 78, No. 79, No. 86 and No. 92 as are situated within the State of Madhya Pradesh and National Highway Extension of No. 86.	of Madhya

(h) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"8	So much of National Highways No. 4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 103.0 (from Chennai to Ranipet)], No. 7 [(excluding from Km. 33.000 to Km. 94.000 (Hosur to Krishnagiri), Km. 134.000 to Km. 141.000 and Km. 156.000 to Km.207.600 Krishnagiri-Salem-Madurai)] from Km.248.165 to Km.259.230(Namakkal Bypass), from Km.292.400 to Km.306.400 (Karur Bypass)] and No. 45A [(including portion from Tamil Nadu / Pondicherry border to Nagapattinam)], No. 47, No. 49, No. 66, No. 205, No. 207, No. 208, No. 209, No.219 and No. 220 as are situated within the State of Tamil Nadu and National Highways No. 7A, No. 67, No. 68, No. 45B and No. 210.	State Government of Tamil Nadu";

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the number and entries shall be substituted, namely:-

following serial

1	2	3
"9	So much of National Highways No. 4, [excluding from Km. 0.0 to Km. 592.0 (from Bangalore to Karnataka-Maharashtra border)], No. 4A, No. 7 [excluding from Km. 0.0 to Km. 33.0 (from Bangalore to Karnataka-Tamil Nadu border and Km. 524.000 to Km. 556.000 (Hyderabad-Bangalore)], No.9, No. 13 (including portion from Chitradurga to Mangalore), No. 17, No. 63, No. 207, No. 209 and No. 212 as are situated within the State of Karnataka and National Highways No. 48, No. 206 and No. 218.	

(j) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"11	So much of National Highways No.1 [(excluding from	State Government
ł	Km.212.000 to Km.387.100 (Haryana /Punjab Border	of Punjab";
1	to Jalandhar], No.1A [excluding from Km.4.230 to	
}	Km. 26.000 (Jalandhar-Pathankot Section), No.10,	
]	No.15, No.20, No.21, No.22, No.70 and No.71 as are	
	situated within the State of Punjab and National	
	Highways No.64 (including portion from Bhatinda to	
	Dabwali) and No.95.	

(k) for serial number 11A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"11A	So much of National Highways No.1[excluding from	State Government
	Km.29.300 to Km.212.000 (Delhi/Haryana Border to	of Haryana";
	Haryana/Punjab Border)], No.10, No.21A, No.22,	
	No.64, No.65, No.71, No.72 and No.73 as are situated	
	within the State of Haryana and National Highway	
	No.71A.	

(l) for serial number 11C and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
	So much of National Highways No.1 [(excluding from	
	Km.8.200 to Km.16.200 and from Km.16.500 to Km. 29.300 forming Delhi (Near Majnu Ka Tila) to	

-	Y2 11 '/FY	1 1 11	77 10		NT 04			
	Delhi/Haryana	border),	No.10	and	No.24	as	are	
	situated within	the Nationa	l Capita	l Terr	itory of	Dell	ni.	

(m) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"12	So much of National Highways No. 3 [excluding from Km.30.885 to 51.000 (Uttar Pradesh/Rajasthan Border-Dholpur section)], No. 11, No. 12, No. 14, No. 15, No. 65, Extension. of No. 65, No. 76 (excluding from Chittorgarh to Udaipur), No. 79 (excluding from section Nazirabad to Chttorgarh) as are situated within the State of Rajasthan and National Highways No. 11A,	
	No. 89 and No. 90	

(n) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"13	So much of National Highways No. 2A, No. 3	State Government
	(excluding from Km. 8.00 to Km. 30.885 (Agra- Uttar	of Uttar Pradesh".
	Pradesh / Rajasthan Border), No. 7, No. 11, No. 19, No.	
	24 [excluding from Km. 27.62 to Km. 59.00]	
	(Ghaziabad-Hapur including Hapur bypass) and	
	excluding from Km. 148.43 to Km. 166.65 (Moradabad)	
	Bypass)], No. 25 (excluding from Km. 11.380 to Km.	
	75,500 (Lucknow-Kanpur), No. 26, No. 28, No. 58,	
	No. 72, No. 73, No. 74, No. 75, No. 75A, Extension of	
}	No. 75, No. 76, No. 86, No. 87 and No. 92 as are	
	situated within the State of Uttar Pradesh and National	
	Highways No. 24A, No. 29, No, 56, No. 91, No. 93,	
	No. 96 and No. 97	

[F. No. NH-14019/17/2001/P&M]

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Director

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.R.O.1181 dated 4th April, 1957 and last amended vide S.O. No.765 (E) dated 8th August, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1192(अ).— -केंद्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988, (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा संलग्न तालिका के कालम (1) में यथाउल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त तालिका के कालम (2) में उल्लिखित संगत खंडों के उक्त तालिका के कालम (3) में विनिर्दिष्ट भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है -

तालिका

राष्ट्रीय	खंड	भाग किलोमीटर में
राजमार्ग		
संख्या		
1	2	3
7	नागपुर - हैदराबाद	464.00 से 474.000 कि.मी.
	हैदराबाद - बंगलीर खंड	9.400 से 22.300 कि.मी.
	(आंध्र प्रदेश राज्य में)	
37	असम राज्य में गुवाहाटी बाइपास खंड	146.000 से 156.500 कि.मी.
31	बिहार राज्य में पूर्णिया - गोयरकाटा	419.000 से 447.000 कि.मी.
	खंड	
7	महाराष्ट्र राज्य में नागपुर - अदीलाबाद	22.850 से 24.650 कि.मी. और
	खंड	36.600 से 64.000 कि.मी.
14	गुजरात राज्य में आबू रोड - दीसा खंड	350.000 से 372.700 कि.मी.
8 बी	गुजरात राज्य में गोंडल - रिबडा खंड	143.000 से 160.000 कि.मी.
47	केरल राज्य में अलूवा - अंगमाली खंड	316.00 से 332.600 कि.मी.
3	मध्य प्रदेश राज्य में आगरा - ग्वालियर	70.000 से 103.000 कि.मी.
	खंड	

7	बंगलौर - सलेम - मदुरै खंड	163.400 से 207.600 कि.मी.
7	नमकल बाइपास	248.165 से 259.230 कि.मी.
7	करूर बाइपास	292.400 से 306.400 कि.मी.
	(तमिलनाडु राज्य में)	
7	कर्नाटक राज्य में हैदराबाद - बंगलीर	527.000 से 535.000 कि.मी.
	खंड	539.000 से 556.000 कि.मी.
1	पंजाब राज्य में हरियाणा - पंजाब सीमा	
	से जालंधर	
1ए	पंजाब राज्य में जालंघर - पठानकोट	4.230 से 26.000 कि.मी.
	खंड	
1	हरियाणा राज्य में दिल्ली हरियाणा सीमा	29.300 से 212.000 कि.मी.
	से हरियाणा - पंजाब सोमा	
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मजनूं	16.500 से 29.300 कि.मी.
	का टीला से दिल्ली/हरियाणा सीमा	
3	उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा - उत्तर	24.000 से 30.885 कि.मी.
	प्रदेश / राजस्थान सीमा खंड	
3	उत्तर प्रदेश / राजस्थान सीमा से	30.885 से 41.000 कि.मी.
	धौलपुर खंड	
76	चित्तौड़गढ़ से उदयपुर	114.000 से 220.000 कि.मी.
	उदयपुर बाइपास	6.000 से 17.000 कि.मी.
79	नसीराबाद से चित्तौङगढ़	14.000 से 182.000 कि.मी.
	(राजस्थान राज्य में)	
25	लखनऊ - कानपुर खंड	21.800 से 59.500 कि.मी.
56ए	लखनऊ बाइपास	रा.रा.56ए का संपूर्ण खंड
56बी	लखनऊ बाइपास	रा.रा.56बी का संपूर्ण खंड
	(उत्तर प्रदेश राज्य में)	

[फा. सं. एनएच~14019/17/2001-पीएंडएम]

एस.सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) व अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2001

S.O. 1192(E).— exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against them in column (2) of the said Table, of the National Highways as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India

TABLE

	IADLU	
National	Section	Stretches in Kilometer
Highway		
number		
(1)	(2)	(3)
7	Nagpur Hyderabad	Km. 464.00 to Km. 474.000
{	Hyderabad-Bangalore section	Km.9.400 to Km.22.300
	(in the State of Andhra Pradesh)	
37	Guwahat Bypass section in the State	Km.146.000 to Km.156.500
	of Assam	
31	Purnea-Goyerkata section in the	Km. 419.000 to Km.447.000
	State of Bihar	
7	Nagpur Adilabad section in the	
	State of Maharashtra	Km.36.600 to Km.64.000
14	Abu Road-Deesa section in the	Km.350,000 to Km.372,700
	State of Gujarat	
8B	Gondal- Ribda secion in the State of	Km. 143.000 to Km.160.00
	Gujarat	
47	Aluva-Angamali section in the State	Km.316 to Km.332.600
	of Kerala	
3	Agra Gwalior section in the state of	Km.70.000 to Km.103.000
	Madhya Pradesh	

7	Bangalore-Salem-Madurai section	Km. 163.400 toKm.207.600
7	Namakkal Bypass	Km.248.165 to Km.259.230
7	Karur Bypass	Km.292.400 to Km.306.400
{	(in the State of Tamil Nadu	
1A	Jalandhar-Pathankot section in the	Km.4.230 to Km.26.000
	State of Punjab	
1	Delhi Haryana Border to Haryana-	Km.29,300 to Km.212,000
{	Punjab Border in the State of	
	Haryana	
1	Majnu Ka Tila to Delhi/Haryana	Km. 16.500 to Km.29.300
	border in the National Capital	
	Territory of Delhi	
3	Agra-Uttar Pradesh / Rajasthan	Km.24,000 to Km.30.885
{	border section in the State of Uttar	
[Pradesh	
3	Uttar Pradesh/Rajasthan border to	Km.30.885 to Km.41.000
	Dholpur section	
76	Chittorgarh to Udaipur	Km.114.000 to Km 220.000
	Udaipur Bypass	Km.6.000 to Km 17.000
79	Nasirabad to Chittorgarh	Km,14,000 to Km,182,000
	(in the State of Rajasthan)	
25	Lucknow-Kanpur section	Km.21.800 to 59.500
56A	Lucknow Bypass	The entire stretch of NH-56A
56B	Lucknow Bypass	The entire stretch of N H-56B
	~ 4	
76 79 25 56A	Uttar Pradesh/Rajasthan border to Dholpur section Chittorgarh to Udaipur Udaipur Bypass Nasirabad to Chittorgarh (in the State of Rajasthan) Lucknow-Kanpur section Lucknow Bypass	Km.114.000 to Km 220.000 Km.6.000 to Km 17.000 Km.14.000 to Km.182.000 Km.21.800 to 59.500 The entire stretch of NH-56A

[F. No. NH-14019/17/2001-P&M]

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.